



कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

अनुज्ञा क्रमांक-127

प्ररूप-5
(नियम 9 (7) देखिए)
कालोनी विकास की अनुमति

दिनांक 05/03/2019
प्र0क्र0 20/अ-74/2018-19

मध्यप्रदेश पंचायत राज एव ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और उसके अधीन बनाए गए "मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम, 2014 के अधीन एतद् द्वारा ग्राम सिमरोल तहसील डॉ.अम्बेडकरनगर महु, जिला इन्दौर में कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा दी जाती है:-

श्री/श्रीमती

मं.सेठजी नी वाडी तर्फे पार्टनर,

श्री योगेश पिता केशवदत्त पाठक

निवासी -

ग्राम का नाम -

सर्वे नम्बर -

आर-4, रायल रेसीडेंसी, पिपल्याहाना चौराहा, इन्दौर को
ग्राम सिमरोल तहसील डॉ.अम्बेडकरनगर महु, जिला इन्दौर

भूमि सर्वे नं. 121/2 रकबा 1.278 हे., सर्वे नं. 122/2 रकबा 1.796 हे.,
सर्वे नं. 123/1 रकबा 0.311 कुल रकबा 3.385 हे. पैकी 2.023 हेक्टैयर.

निम्नलिखित शर्तों के अधधीन रहते हुए कालोनी विकास अनुज्ञा प्रदान की जाती है:-

- 1- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (20 सन् 1959) के उपबंधों के अधीन भूमि के व्यपवर्तन के लिए लागू शर्तों का अक्षरशः पालन करना होगा।
- 2- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) के अधीन विकास हेतु अनुज्ञा के अधीन लागू शर्तों का पालन करना होगा।
- 3- विकास/निर्माण में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय समूहों के लिए भवनों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी।
- 4- नगर भूमि सीमा तथा नियंत्रण अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अधीन सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा से अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तों का पालन करना होगा।
- 5- नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के स्थल मानचित्र स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्त अनुसार वन एवं पर्यावरण द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार पर्यावरण स्वीकृति एवं अन्य उल्लेखित अनुमतियों ली जाना अनिवार्य होगा।
- 6- आवेदित भूमि के आस-पास की भूमि या शासकीय भूमि पर अतिक्रमण एवं विकास कार्य नहीं किया जावेगा।
- 7- कालोनी का विकास कार्य तीन वर्ष की अवधि में पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।
- 8- कालोनी विकास पेटे धरोहर के रूप में मुखण्ड क्रमांक- 21 से 32(12), 55 से 69(15) कुल 27 रखे गये है। उक्त मुखण्ड को इस कार्यालय की सक्षम अनुमति के बगैर विक्रय नहीं किया जावेगा।

(लोकेश कुमार जाटव)

कलेक्टर,

सक्षम प्राधिकारी,

जिला इन्दौर

पृष्ठांकन क्रमांक / 230 / करी / 19

इंदौर, दिनांक 05 मार्च 2019

प्रतिलिपि:-

- 1- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला इंदौर ।
- 2- अनुविभागीय अधिकारी, डॉ. अम्बेडकरनगर महू, जिला इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- उप पंजीयक, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4- मे. सेठजी नी वाडी, तर्फे पार्टनर योयेश पाठक पिता केशवदत्त पाठक, निवासी आर-4 रायल रेसीडेन्सी, पिपल्याहाना चौराहा, इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर

जिला इंदौर

जिला इन्दौर (म. प्र.)